भारत सरकार
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 2276
दिनांक 01 अगस्त, 2025 को उत्तर के लिए

महिला सशक्तीकरण योजनाओं का कार्यान्वयन

2276. **श्री दरोगा प्रसाद सरोज:**

क्या **महिला और बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) उत्तर प्रदेश में गैर-सरकारी संगठनों (एनजीओ) के माध्यम से महिलाओं के सशक्तीकरण और बच्चों के विकास के लिए कार्यान्वित की जा रही योजनाओं का आजमगढ़ सहित जिलेवार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने इस क्षेत्र में कार्यरत गैर-सरकारी संगठनों के कामकाज की निगरानी के लिए कोई निगरानी तंत्र स्थापित किया है;

(ग) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) बच्चों को डे-केयर और सुरक्षा सुविधाएँ प्रदान करने के लिए उक्त राज्य में शुरू की गई योजनाओं का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) उक्त राज्य सहित देश में उक्त योजना के अंतर्गत हुई प्रगति का ब्यौरा क्या है और योजना के अंतर्गत सरकार द्वारा कितनी धनराशि खर्च की जा रही है?

उत्तर
महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री
(श्रीमती सावित्री ठाकुर)

(क) से (ग): महिला एवं बाल विकास मंत्रालय अपनी विभिन्न योजनाओं और मिशनों के अंतर्गत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को सीधे निधि जारी करता है। यह किसी भी गैर-सरकारी संगठन (एनजीओ) को कोई निधि जारी नहीं करता है। कुछ परियोजनाएं/बाल देखरेख संस्थान राज्य सरकार की एजेंसियों के माध्यम से सरकार/स्थानीय अधिकारियों द्वारा सीधे कार्यान्वित किए जाते हैं, जबकि कुछ अन्य विशिष्ट परियोजनाएं और बाल देखरेख संस्थान गैर-सरकारी संगठनों द्वारा भी चलाए और कार्यान्वित किए जाते हैं। परियोजना अनुमोदन

बोर्ड की बैठकों में इनकी समीक्षा की जाती है । राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को निर्देश दिया गया है कि यदि कार्यान्वयन एजेंसियां गैर-सरकारी संगठन हैं, तो उन्हें नीति आयोग के दर्पण पोर्टल पर अनिवार्य रूप से पंजीकृत होना चाहिए। इसके अलावा, उनके द्वारा संचालित परियोजनाओं का राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र सरकारों के स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा निरंतर समीक्षा और पर्यवेक्षण किया जाएगा जो गैर-सरकारी संगठनों सहित अपनी सभी कार्यान्वयन एजेंसियों की ओर से उपयोग प्रमाण पत्र भी देंगे ।

(घ) और (ङ): महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, देखरेख और संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों (सीएनसीपी) और विधि का उल्लघंन करने वाले बच्चों (सीसीएल) के लिए विभिन्न सेवाएँ प्रदान करने हेतु उत्तर प्रदेश सहित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों के माध्यम से 'मिशन वात्सल्य' नामक केंद्र प्रायोजित योजना का कार्यान्वयन कर रहा है। इन सेवाओं में संस्थागत देखभाल और गैर-संस्थागत देखभाल शामिल हैं। मिशन वात्सल्य योजना के अंतर्गत स्थापित बाल देखभाल संस्थान (सीसीआई) अन्य बातों के साथ-साथ, आयु-अनुकूल शिक्षा, व्यावसायिक प्रशिक्षण तक पहुँच, मनोरंजन, स्वास्थ्य देखभाल, परामर्श इत्यादि प्रदान करते हैं। गैर-संस्थागत देखभाल के अंतर्गत, बच्चों को प्रायोजन, पालन-पोषण देखभाल, दत्तक ग्रहण और पश्चात देखभाल के माध्यम से सहायता प्रदान की जाती है। उपर्युक्त राज्य सहित देश में वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए मिशन वात्सल्य के अंतर्गत की गई वित्तीय और वास्तविक प्रगति का विवरण **अनुलग्नक-I** में दिया गया है।

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने बच्चों को डे केयर सुविधाएँ और सुरक्षा प्रदान करने के लिए दिनांक 01 अप्रैल 2022 से सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के लिए व्यापक मिशन शक्ति के सामर्थ्य वर्टिकल के अंतर्गत पालना योजना शुरू की गई है। पालना योजना का उद्देश्य बच्चों (6 महीने से 6 वर्ष की आयु तक) के लिए सुरक्षित वातावरण में गुणवत्तापूर्ण क्रेच सुविधा, पोषण संबंधी सहायता प्रदान करना, बच्चों के स्वास्थ्य और संज्ञानात्मक विकास, विकास निगरानी एवं टीकाकरण करना है। पालना के अंतर्गत क्रेच सुविधाएँ सभी माताओं को प्रदान की जाती हैं, चाहे उनकी रोज़गार की स्थिति कुछ भी हो।

कार्यक्रम अनुमोदन बोर्ड (पीएबी) की बैठकें राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों के साथ प्रतिवर्ष आयोजित की जाती हैं, जहाँ इस बात पर जोर दिया जाता है कि वे अधिक आंगनवाड़ी-सह-क्रेच खोलने और उन्हें कार्यशील करने के लिए प्रस्ताव भेजें।

15वें वित्त अवधि के दौरान, अर्थात वित्तीय वर्ष 2025-26 तक, पालना योजना के अंतर्गत कुल 17,000 आंगनवाड़ी-सह-क्रेच (एडब्ल्यूसीसी) की स्थापना करने की परिकल्पना की गई है। एडब्ल्यूसीसी की स्थापना के प्रस्ताव संबंधित राज्य सरकारों/ संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त होते हैं, जो योजना के कार्यान्वयन के लिए अपना सदृश अंश भी देते हैं। अब तक, विभिन्न राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त प्रस्तावों के अनुसार मंत्रालय द्वारा कुल 14,599 एडब्ल्यूसीसी को मंजूरी दी जा चुकी है। राजस्थान और उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा इस योजना का कार्यान्वयन नहीं किया गया है। देश में वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान पालना योजना के अंतर्गत की गई वित्तीय प्रगति का विवरण **अनुलग्नक - II** में दिया गया है।

*****

अनुलग्नक-I

दिनांक 01.08.2025 को पूछे जाने वाले लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2276 के भाग (घ) एवं (ङ) के उत्तर में उल्लिखित विवरण

वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए मिशन वात्सल्य के अंतर्गत की गई वित्तीय और वास्तविक प्रगति

I. वित्तीय प्रगति :

(करोड़ रूपए)

वित्तीय वर्ष	वास्तविक व्यय
2024-25	1405.53

वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए, मिशन वात्सल्य योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के लिए केंद्रीय अंश के रूप में कुल 9,205.25 लाख रुपये जारी किए गए।

II. वास्तविक प्रगति:

वित्तीय वर्ष	बाल कल्याण समितियाँ	किशोर न्याय बोर्ड	जिला बाल संरक्षण इकाइयाँ	बाल देखभाल संस्थान	बाल देखभाल संस्थानों में लाभार्थी	गैर-संस्थागत देखभाल के अंतर्गत लाभार्थी
2024-25	783	773	764	2559	76882	170895

उत्तर प्रदेश राज्य में, वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान मिशन वात्सल्य के अंतर्गत कुल 164 बाल देखभाल संस्थानों (सीसीआई) और 5,420 बच्चों को सहायता प्रदान की गई। इसके अतिरिक्त, गैर-संस्थागत देखभाल घटक के अंतर्गत, वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान कुल 15,000 बच्चों को सहायता प्रदान की गई।

अनुलग्नक- II

दिनांक 01.08.2025 को पूछे जाने वाले लोकसभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2276 के भाग (घ) और (ङ) के उत्तर में उल्लिखित विवरण

वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए पालना योजना के अंतर्गत की गई वित्तीय प्रगति

(करोड़ रूपए)

वित्तीय वर्ष	**वास्तविक व्यय**
2024-25	45.17

*****